न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1601–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर प्रकरण क्रमांक 05/बी–121/2012–13.

—

1– सुरेश पुत्र माधवराव पाटिल
2– गोपाल पुत्र बाबूराम पाटिल
3– दौलतराम पुत्र माधवराव पाटील
4– श्रीमती मंगलाबाई बेवा चंदकांत पाटील
निवासीगण ग्राम उमरदा
तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– धन्नूलाल पुत्र घनश्याम मल्लाह
2– मंगल पुत्र घनश्याम मल्लाह
3– गुलाब पुत्र घनश्याम मल्लाह
निवासीगण मोहल्ला नागझीरी
तहसील व जिला बुरहानपुर
4– अनिल पुत्र लक्ष्मण किशोर
निवासी जय स्तम्भ के पास, बुरहानपुर .....अनावेदकगण

———

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री कौशलेन्द्र सिंह तोमर, अभिभाषक,अनावेदकगण

———

/Parte/

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/10/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश 26–3–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा प्रकरण कमांक 31/बी–121/12–13 में दिनांक 10–9–13 को आदेश पारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर को इस निर्देश के साथ भेजा गया कि मूल भूमिस्वामी के वारिसों की जानकारी प्राप्त करें । यदि यह सम्पत्ति ट्रस्ट से संबंधित है तो ट्रस्ट के संबंध में जांच की जाये । संपत्ति का कोई वारिस न हो तो ऐसी स्थिति में शासन हित में संपत्ति को राजसात करने की कार्यवाही की जाये । कलेक्टर के उक्त आदेश के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 05/बी–121/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 26–3–2014 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–9–13 के विरूद्ध राजस्व मण्डल में अपील की गई है, और राजस्व मण्डल द्वारा कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया है, तहसीलदार नेपानगर को प्रश्नाधीन संपत्ति को अंतिम रूप से कब्जा प्राप्त कर प्रबंधन शासन हित में सुनिश्चित कर 15 दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से जॉच कर प्रतिवेदन मांगा गया था, और आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर बतलाया गया था कि प्रश्नाधीन संपत्तियां आवेदकगण की वाडिलोपार्जित सम्पत्तियां हैं, और जो उन्हें उनके पूर्वजों के बाद वारिसाना हक में प्राप्त हुई हैं । आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे, जिन पर कलेक्टर द्वारा कोई विचार नहीं कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज

कर कार्यवाही करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि वसीयतकर्ता ट्रस्टी गनपत एवं गोविंदा द्वारा आवेदकगण के पक्ष में दिनांक 16–12–1940 को वसीयतनाम निष्पादित किया गया है, इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की भूमि थी, परन्तु ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था, और प्रश्नाधीन संपत्तियां आवेदकगण के खानदान की संपत्ति है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा कलेक्टर के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये गये थे, इसलिए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को वापिस भेजने की आवश्यकता नहीं थी, परन्तु कलेक्टर द्वारा प्रकरण वापिस भेजने संबंधी आदेश पारित करने में नितांत अवैध एवं अनुचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किए जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत की गई थी, जिन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, और न ही आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया गया है, केवल प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व में दिनांक 12–3–14 को प्रकरण राजस्व मण्डल में भेजने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु पुनश्च करके इस आशय की आदेशिका लिखी गई कि तर्क श्रवण किये गये, प्रकरण आदेशार्थ । इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया है, और न ही उनके तर्क श्रवण किये गये हैं । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की है अथवा नहीं, और आवेदकगण ट्रस्टियों के वारिस हैं अथवा नहीं, यह निश्चित नहीं होने के बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा शासन हित में कब्जा लेने के निर्देश तहसीलदार को देने में पूर्णतः अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब इस न्यायालय में कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रचलित है तब अनुविभागीय अधिकारी को कब्जा लेने का आदेश नहीं देना चाहिए था । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी अंतरिम रूप से कब्जा एवं प्रबंधन शासन हित में लेने के निर्देश दिये गये हैं, और प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण नहीं किया गया है । अतः

आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित कार्यवाही को लंबित रखने के उद्देश्य से निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । निगरानी प्रकरण कमांक 3927–दे/13 में पारित आदेश के तारतम्य में इस प्रकरण में अन्य कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभी कार्यवाही लंबित है, जहां आवेदकगण को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, नेपानगर जिला बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश 26–3–2014 स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर